न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या एल.आर/90–बी(7)/01/2014/(2014/00041) अजमेर

1. सोहन लाल पुत्र स्व0 सरवण
2. गणपत पुत्र स्व0 सरवण
   दोनों जाति रेगर निवासी कृष्णापुरी, पुरानी चुंगी के पास मदनगंज–किशनगढ़, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।

———अपीलार्थीगण

बनाम

1. आयुक्त जरिये नगर परिषद् किशनगढ़ जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़ जिला अजमेर।
3. नृसिंह पुत्र स्व0 सरवण
4. मदनलाल पुत्र स्व0 सरवण
   दोनों जाति रेगर निवासी कृष्णापुरी, पुरानी चुंगी के पास मदनगंज–किशनगढ़, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।

———प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 90–बी (7) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी,
किशनगढ दिनांक 24–05–2002
प्रकरण संख्या 132

————

उपस्थित– श्री शौकिन्द लाल गुर्जर, अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांक 30–01–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 की पुश्तैनी खातेदारी की आराजियात खसरा नम्बर 652 रकबा 08–00–00, खसरा नम्बर 653 रकबा 6–00–00 भूमि ग्राम मदनगंज भू–अभिलेख क्षैत्र किशनगढ़ में स्थित है। विवादित आराजियात अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण संख्या

3 व 4 के पिता सरवणर वल्द घीसा के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2048–2059 में खातेदारी हक से दर्ज चली आ रही है। विवादित भूमि को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ बाबत हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 3 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 90 बी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया जो अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकतरफा में अपने आदेश दिनांक 24–5–2002 को पारित कर प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में हस्तांतरित करने का आदेश पारित कर दिया। अपलार्थीगण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के उक्त आदेश दिनांक 24–05–2002 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 पर कथन किया कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 24–5–2002 पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। अपीलार्थीगण को उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10–12–2013 को पटवारी हल्का से खातेदार की विरासत बाबत सम्पर्क किया तो उक्त आदेश की जानकारी हुई तब अपीलार्थीगण ने राजस्व अभिलेख प्राप्त कर दिनांक 30–12–2013 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर नकल आदि की व्यवस्था कर जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी संख्या–1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलांट अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थीगण के अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के

मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील मीमों में उल्लेखित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 652 व 653 के खातेदार अपलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण संख्या 3 व 4 के पिता सरवण वल्द घीसा का स्वर्गवास दिनांक 3–6–1995 को हो गया है। विवादित आराजियात को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 3 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 90 बी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपीलार्थीगण वं प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 को बिना विधिक सूचना के सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय आदेश दिनांक 24–5–2002 पारित कर प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में भूमि हस्तातरित करने का आदेश पारित कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित निर्णय आदेश 41 नियम 31 एवं आदेश 5 नियम 17 से 20 जा0.दी0 की पालना किये बिना ही दस्तावेजी साक्ष्यों के बाहर जाकर आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–5–2002 को अपीलार्थी के खसरा नम्बर 652 रकबा 08–00–00 खसरा नम्बर 653 रकबा 06–00–00 भूमि ग्राम मदनगंज किशनगढ़ की हद तक निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की अपील मीमों में उल्लेखित कथनों के समर्थन में प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–5–2002 नियमों के परिप्रेक्ष्य में 90 (बी) की विज्ञप्ति दिनांक 21–1–2002 को जारी कर तथा दैनिक अखबार में नोटिस साया करवाकर आपत्तियां आमंत्रित की गई जिसके तहत आपत्तियां प्राप्त हुई जिन्हें कन्सीडर किया गया। जिनमें आपत्तियां नहीं आई 90(बी) की कार्यवाही की गई। सम्पूर्ण कार्यवाही विधिक प्रक्रिया अपनाकर की गई थी। प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा दिनांक 24–5–2002 को आदेश पारित किया गया। अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 8–1–2014 को अपील प्रस्तुत की गई जो मियाद बाहर अपील है। आबादी क्षैत्र की भूमि की ही 90 बी की गई है। नगर पालिका द्वारा खातेदारों के आवेदन करने पर पट्टे जारी कर दिये जायेंगे। अतः प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–5–2002 विधिसम्मत होने से अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन कर संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 24–5–2002 द्वारा ग्राम मदनगंज, सांवतसर व फरासिया के विभिन्न खसरा नम्बरान की भूमियों जिसमें खसरा नम्बर 652 रकबा 08–00–00 एवं खसरा नम्बर 653 रकबा 06–00–00 भी सम्मिलित है, को राजस्व रेकार्ड में से कम करते हुए स्थानीय निकाय नगर पालिका किशनगढ़ को हस्तांतरित करने के आदेश पारित किये है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 58 से 62 तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 1 से 20 के अन्तर्गत पक्षकारों पर व्यक्तिगत नोटिसों की तामीली की प्रक्रिया दी गई है जिसमें उल्लेखित किया गया है कि नोटिस की तामीली पक्षकारों को निहित प्रक्रिया के तहत व्यक्तिगत रूप से ही की जानी चाहिए। यदि इस प्रक्रिया से तामीली संभव नहीं हो तो अन्त में पक्षकारों के नोटिस स्थानीय अखबार में प्रकाशित करवाने के प्रावधान है। प्रस्तुत प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा समाचार पत्र में नोटिस साया करवाकर आपत्तियां आमत्रित कर सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपना कर नगर पालिका किशनगढ़ को भूमि हस्तांतरण करने की कार्यवाही की गई है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 23–4–2002 के अनुसार विवादित आराजियात पर कॉलोनी स्वीकृत है एवं पट्टे जारी हो रखे है। विवादित भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है। भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–बी के तहत ऐसी भूमि का पुनर्ग्रहण कर स्थानीय निकाय के नाम किये जाने की व्यवस्था है। ऐसी स्थिति प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित आदेश क्रमांक 132 दिनांक 24–5–2002 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित आदेश क्रमांक 132 दिनांक 24–4–2002 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30–01–2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर